न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, सुपौल।
एन0डी0पी0एस0 वाद संख्या–52/2025 (S-1)
रतनपुरा थाना काण्ड संख्या–47/2025

	राजेश यादव, पिता–देव नारायण यादव, साकिन–सातनपट्टी, वार्ड नं0–11, थाना–रतनपुरा, जिला–सुपौल .....आवेदक। **बनाम्** **बिहार सरकार.....विपक्षी।**	
01.04.2026	1. काराधीन अभियुक्त आवेदक यथा राजेश यादव की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन, जो रतनपुरा थाना काण्ड संख्या–47/2025 अंतर्गत धारा–8, 20(b)(ii)(B), 8(c), 21(a) एवं 29 एन0डी0पी0एस0 से संबंधित है, को आज प्रचालित किया गया तथा न्यायालय द्वारा सुना गया। अभियुक्त आवेदक दिनांक–11.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में संसीमित है। 2. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री श्याम सुन्दर कुमार एवं आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार सिंह को सुना। 3. अभियुक्त आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन के पूर्व कोई जमानत आवेदन न तो विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है। 4. अभियुक्त आवेदक के विरूद्ध पूर्व एक बिजली चोरी का मुकदमा लंबित है। 5. अभियुक्त आवेदक, सूचक वि0प0स0–13240834 निरीक्षक राघव कुमार झा के टंकित आवेदन के आधार पर रतनपुरा थाना काण्ड संख्या–47/2025 अंतर्गत धारा–8, 20(b)(ii)(B), 8(c), 21(a) एवं 29 एन0डी0पी0एस0 के तहत यह आरोप लगाते हुये दर्ज करवाया है कि दिनांक–17.05.2025 को समय लगभग 17:30 बजे गुप्त सूत्रों के द्वारा आसूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सातनपट्टी, वार्ड नं0–11, निवासी देव नारायण यादव के घर के अंदर भारी मात्रा में मादक पदार्थ छुपाया हुआ है। आसूचना मिलने पर इन्होंने इसकी जानकारी श्री राज कुमार (सहायक कमांडेंट) ए–समवाय कमांडर स0सी0बल0 नरपटपट्टी को दी तथा उनके द्वारा बताया गया कि स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर घर की तलाशी अभियान करें, इसके बाद इसकी सूचना रतनपुरा थाना प्रभारी को दिया। तत्पश्चात ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इनके द्वारा 4 बल–कार्मिक व 2 महिला–बलकार्मिक तथा नारकोटिक्स टेस्ट किट एवं अन्य आवश्यक सामग्री के साथ एक टीम का गठन किया गया, जिसका पार्टी कमांडर वे खुद थे। इस संयुक्त तलाशी अभियान में स्थानीय पुलिस थाना रतनपुरा के सहायक उप0 निरीक्षक सुमित कुमार सिंह एवं 2 अन्य कार्मिकों को तलाशी अभियान का हिस्सा	लगातार

लगातार 01.04.2026	बनाया गया। समय लगभग 18:30 बजे संयुक्त टीम देव नारायण यादव के घर के पास पहुंचकर घर की घेराबंदी कर दी। संयुक्त तलाशी की प्रक्रिया शुरू होने से पहले देव नारायण यादव के घर के आस–पास के लोगों को गवाही के रूप में शामिल होने के लिए कहा गया, जिसके लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ, तत्पश्चात नजदीकी सीमा चौकी नरपटपट्टी से दो बलकर्मी प्रोलय सहा एवं सचिन को बतौर स्वतंत्र गवाह के रूप में तलाशी प्रक्रिया में शामिल किया गया। घर की तलाशी शुरू करने से पहले देव नारायण यादव को अवगत कराया गया कि हमें गुप्त सूचना मिली है कि आपके घर के अंदर भारी मात्रा में मादक पदार्थ छुपाया हुआ है तथा आप अवैध कार्यों में संलिप्त हैं। तत्पश्चात इन्होंने देव नारायण यादव को बताया कि आपका यह अधिकार है कि आप चाहे तो एस0एस0बी0 पुलिस के राजपत्रित अधिकारी से या विधि संगत किसी मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होकर अपने घर की तलाशी करवा सकते हैं। देव नारायण यादव अपने घर की तलाशी एस0एस0बी0 के राजपत्रित अधिकारी द्वारा कराने हेतु सहमत हुये। इसके बाद इन्होंने अपने राजपत्रित अधिकारी राज कुमार, सहायक कमांडेंट को इसकी सूचना दी। इसके उपरांत श्री राज कुमार, सहायक कमांडेंट द्वारा मौजूदा स्थान पर जाकर लगभग 18:45 बजे एवं एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 की धारा–50 के तहत एक नोटिस जारी कर देव नारायण यादव को अपने घर की तालशी देने को कहा गया। इसके बाद इनका और इनके साथ मौजूद सभी जवानों तथा सभी मौजूदा पुलिस कर्मीयों की तलाशी दोनों स्वतंत्र गवाहों के सामने बारी–बारी से दी गयी। इसके बाद विधि पूर्वक तरीके से देवनारायण यादव के घर की तलाशी शुरू की गयी। तलाशी के दौरान देव नारायण यादव के घर में दो छोटे–छोटे बोरें (जिसमें 10 प्लास्टिक पैकिंग) एक प्लास्टिक की पन्नी में कुछ संदिग्ध पदार्थ बरामद हुआ, जिसकी पहचान नारकोटिक्स टेस्ट किट द्वारा मादक पदार्थ के रूप में किया गया, जिसका इलेक्ट्रॉनिक तुला मशीन खरा 2 उपरोक्त कार्मिक गवाहों के समक्ष वजन किया गया, जो कि कुल वजन 10 किलोग्राम गांजा और 3 ग्राम ब्राउन शुगर पाया गया। इस मादक पदार्थ का मालिकाना हक अभियुक्त देव नारायण यादव ने लिया है। इन्होंने पूछ–ताछ के क्रम में बताया कि यह मादक पदार्थ गांजा एवं ब्राउन शुगर नेपाल से लाकर बेचने का कार्य करते हैं। इन्होंने यह भी बताया कि गांजा एवं ब्राउन शुगर का अवैध कारोबार पूर्व से	

लगातार 01.04.2026	ही इनके दो बेटे यथा राजेश यादव एवं ललन यादव साथ मिलकर करते हैं। 6. अभियुक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त आवेदक बिल्कुल निर्दोष हैं एवं इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त आवेदक के विरूद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त आवेदक को उसके विरोधियों के कहने पर इस झूठे मामले में झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी और जब्ती सूची में लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे, मनगढ़ंत एवं बनावटी है। प्राथमिकी में लगाए गये आरोपों के अनुसार आरोपित धाराएं अभियुक्त आवेदक के विरूद्ध लागू नहीं होता है। प्राथमिकी में लगाए गये आरोपों और साथ ही जब्ती सूची के अनुसार अभियुक्त आवेदक के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है तथा अभियुक्त आवेदक घटना या छापे के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। अन्य सह–अभियुक्त देव नारायण यादव को कि0 मिस0 संख्या–71669/2025 दिनांक–15.10.2025 के आदेश के तहत जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अभियुक्त आवेदक दिनांक–11.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त आवेदक जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे तथा उपरोक्त वाद से संबंधित किसी भी साक्ष्य व साक्षी को प्रभावित नहीं करेंगे एवं वह बंध–पत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उन्हें जमानत प्रदान करने की कृपा की जाए। 7. अभियुक्त आवेदक दिनांक–11.01.2026 से कारा में संसीमित है। 8. विद्वान विशेष लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हुये कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन करते हैं। 9. अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त आवेदक पर, उनके घर का पुलिस द्वारा तलाशी पर घर में से 10 किलोग्राम गांजा और 3 ग्राम ब्राउन शुगर पाया गया, जिसका अभियुक्त के द्वारा अवैध खरीद–बिक्री किये जाने का आरोप है। काण्ड दैनिकी की कंडिका–2 में जप्ती–सूची का ब्यौरा है, जिसमें दस किलोग्राम गांजा एवं तीन ग्राम ब्राउन शुगर अभियुक्त आवेदक के घर से बरामद करने का उल्लेख है। कंडिका–3 में एन0डी0पी0एस0 की धारा–50 के अंतर्गत सह–अभियुक्त देव नारायण यादव को नोटिस देने का उल्लेख है। कंडिका–5 में सह–अभियुक्त देव नारायण यादव का व्यक्तिगत बयान अंकित हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि उनके घर से से तलाशी के क्रम में लगभग 10 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा एवं 3 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी की गयी। कंडिका–8 में वादी का	

बयान है, इन्होंने प्राथमिकी में वर्णित घटना का समर्थन किया है। कंडिका–9 में साक्षी अमरेन्द्र कुमार यादव, कंडिका–10 में साक्षी राहुल यादव एवं कंडिका–11 में सुमित कुमार सिंह का बयान हैं, इन्होंने भी अपने–अपने बयान में प्राथमिकी में वर्णित घटना का समर्थन किया है। कंडिका–30 में जब्ती सूची के साक्षी प्रोलय सहा एवं सचिन का बयान अंकित है, इन्होंने भी प्राथमिकी में वर्णित घटना का समर्थन किया है। द्वितीय पूरक कांड दैनिकी की कंडिका–63 में अभियुक्त आवेदक के विरूद्ध पूर्व से इस कांड के अतिरिक्त एक अन्य कांड रतनपुर थाना कांड संख्या–79/2024 दर्ज होने का उल्लेख है। द्वितीय पूरक कांड दैनिकी की कंडिका–70 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अनुसंधानकर्ता ने घटना को सत्य पाते हुये अभियुक्त आवेदक राजेश यादव के विरुद्ध अंतर्गत धारा–8, 20(b)(ii)(B), 8(c), 21(a) एवं 29 एन0डी0पी0एस0 के तहत आरोप–पत्र संख्या–10/2026 दिनांक–21.01.2026 समर्पित किया जा चुका है। तत्पश्चात् दिनांक–07.08.2025 को श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह–स्पेशल जज, एन0डी0पी0एस0, सुपौल के द्वारा मूल वाद में अभियुक्त आवेदक के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला सत्य पाते हुये अंतर्गत धारा–20(b)(ii)(B), 8(c), 21(a) एन0डी0पी0एस0 के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया है। इस प्रकार आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध अपने पिता एवं भाई के साथ दस किलोग्राम गांजा एवं तीन ग्राम ब्राउन शुगर तस्करी करने का आरोप है, जो न्यूनतम मात्रा से अधिक, परन्तु वाणिज्यिक मात्रा से अधिक है। अतः अभियुक्त आवेदक के विरूद्ध लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त आवेदक को जमानत पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

10. अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आवेदक अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना न्यायोचित एवं न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा अभियुक्त आवेदक यथा राजेश यादव का जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। तद्नुसार जमानत आवेदन निस्तारित किया जाता है।

लेखापित

Sd/-
(तेज प्रताप सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश–अष्टम्, सुपौल।